

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 693
08.02.2024 को उत्तर के लिए

तटीय क्षेत्र विनियमन की मंजूरी की वैधता को बढ़ाया जाना

693 श्री जयंत चौधरी:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की मंजूरी की वैधता को वर्तमान के सात साल के प्रावधान की तुलना में बढ़ाकर दस साल कर दिया है;
- (ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या अधिसूचना जारी होने से पहले आपत्तियों और सुझावों के संबंध में जनता की राय नहीं मांगी गई थी;
- (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ.) क्या सरकार ने परियोजनाओं को किसी कानूनी प्रस्तावक को हस्तांतरित करने और इन्हें दो या दो से अधिक परियोजनाओं में विभाजित करने का प्रावधान किया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या यह संशोधन, जो सीआरजेड के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है और जिससे जलवायु संकट गहरा हो सकता है, पर्यटन को बढ़ा देगा; और
- (छ) यदि हां, तो इसे कम करने के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) से (ङ) केंद्रीय सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना में कुछ संशोधन किए हैं। नई परियोजनाएं या गतिविधियां और मौजूदा परियोजना या गतिविधियों का विस्तार या आधुनिकीकरण जो ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुरूप हैं, उन्हें भी सीआरजेड मंजूरी की आवश्यकता होती है, यदि वे सीआरजेड क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। ईआईए अधिसूचना में कुछ प्रावधान, जिनमें मंजूरी के हस्तांतरण का प्रावधान भी शामिल है, सीआरजेड अधिसूचना में उपलब्ध नहीं थे और सीआरजेड अधिसूचना में मंजूरी की वैधता संबंधी प्रावधान, ईआईए अधिसूचना के अनुरूप नहीं थे। उपरोक्त के मद्देनजर, केंद्रीय सरकार ने इसे ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुरूप लाने के लिए सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में संशोधन करना आवश्यक समझा है। इस संबंध में, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने जनहित में नोटिस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और दिनांक 03/07/2023 की संशोधन अधिसूचना के माध्यम से सीआरजेड अधिसूचना 2011 में, सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के प्रावधानों को यथा संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए, संशोधन किया है।

(च) जी नहीं। दिनांक 03/07/2023 की उपरोक्त संशोधन अधिसूचना में सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में सूचीबद्ध निषिद्ध और अनुमेय गतिविधियों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।